उत्तराखण्ड जैव विविधता नियमावली Uttarakhand Biological Diversity Rules 2015

उत्तराखण्ड शासन, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्याः 1 2/X-3-1 7-08(83)/2001 दिनांक 04 जनवरी, 2017

द्वारा प्रख्यापित

Promulgated by

Notification No: 12 /X-3-17-08(83)/2001
Dated 04 January, 2017
Forest and Environment Section-3
Government of Uttarakhand,

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the English translation of the following notification for general information.

Government of Uttarakhand

Forest and Environment Section-3 No: 12 /X-3-17-08(83)/2001 Dehradun, Dated : 04 January, 2017

Notification

In exercise of the powers conferred under Sec. 63 of the Biological Diversity Act, 2002 (Central Act No. 18 of 2003), the Governor hereby makes following rules for the implementation of the Act in the State, namely:-

1. Short title and Commencement

- (1) These rules shall be called "Uttarakhand Biological Diversity Rules, 2015".
- (2) It shall come into force at once.

2. Definitions

In these rules, unless the context otherwise requires-

- (a) "Act" means the Biological Diversity Act, 2002 (Central Act No. 18 of 2003);
- (b) "Board" means Uttarakhand Biodiversity Board established under sub section (1) of section 22 of the act;
- (c) "State Government" means the Government of Uttarakhand;
- (d) "Biodiversity Management Committee" means Committee established by the local body under sub-section (1) of Section 41 of the act.;
- (e) "Chairperson" means the chairperson of Uttarakhand Biodiversity Board or Biodiversity Management Committee, as the case may be;

उत्तराखण्ड शासन

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–3 संख्या: 12/x–3–17–08(83)/2001 देहरादुन, दिनांक: 04 जनवरी, 2017

अधिसूचना

राज्यपाल, एतद द्वारा जैव विविधता अधिनियम, 2002 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 18 वर्ष 2003) की धारा 63 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड राज्य में अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

- (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम ''उत्तराखण्ड जैव विविधता नियमावली 2015'' है।
- (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएँ

इन नियमों में, जब तक सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो-

- (क) ''अधिनियम'' से जैव विविधता अधिनियम, 2002 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 18 वर्ष 2003) अभिप्रेत है;
- (ख) ''बोर्ड' से अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड अभिप्रेत है:
- (ग) ''राज्य सरकार'' से उत्तराखण्ड राज्य सरकार अभिप्रेत है;
- (घ) ''जैव विविधता प्रबन्ध समिति' से अधिनियम की धारा 41 की उपधारा (1) के अधीन स्थानीय निकाय द्वारा स्थापित समिति अभिप्रेत है;
- (च) ''अध्यक्ष'' से उत्तराखण्ड राज्य जैव विविधता बोर्ड अथवा जैव विविधता प्रबन्ध समिति का अध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो, अभिप्रेत है;

- (f) "Fee" means any fee stipulated under these rules as provided under sub-section 3 of section 41 of the act;
- (g) "Form" means the form appended to these rules;
- (h) "Member" means a member of the State Biodiversity Board or of a Biodiversity Management Committee, or that of a committee constituted by the Board as the case may be;
- (i) "Section" means section of the act;
- (j) "Member-Secretary" means the Member Secretary of the Board;
- (k) Words and expressions used but not defined in these rules but defined in the act shall have the same meaning respectively assigned to them in the act.

3. Manner of selection and appointment of the Chairperson

- (1) The appointment on the post of Chairperson of the Board, by the State Government shall be from such eminent person having knowledge and experience in the subject of conservation & sustainable use of biological diversity and in the matters relating to equitable sharing of benefits:—
 - (a) who is serving on the post not lower than that of Joint Secretary or its equivalent under Government of India or has retired from such post and having minimum experience of 25 years on the subject as mentioned in sub-rule (1), or
 - (b) having not more than 62 years of age and a minimum experience of 25 years in the subject of conservation & sustainable use of Biodiversity and equitable sharing of its benefits, be made.
- (2) State Government may constitute the following Selection committee for selection of Chairman—
 - (i) Chief Secretary Chairman
 - (ii) Principal Secretary / Secretary, Forest Member
 - (iii) Principal Chief Conservator of Forests,
 Uttarakhand Member
 - (iv) Principal Secretary, Personnel Member
 - (v) Director General, Indian Council of Forestry,Research and Education or his representative Member

- (छ) ''फीस'' से इस नियमावली के अन्तर्गत अधिनियम की धारा 41 की उपधारा (3) के अधीन नियत की गयी फीस अभिप्रेत है;
- (ज) ''प्ररूप'' से इस नियमावली में संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;
- (झ) ''सदस्य'' से राज्य जैव विविधता बोर्ड का सदस्य अथवा जैव विविधता प्रबन्ध समिति अथवा बोर्ड द्वारा गठित समिति जैसी भी स्थिति हो, के सदस्य अभिप्रेत हैं;
- (ञ) ''धारा'' से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;
- (ट) ''सदस्य सचिव'' से बोर्ड के सदस्य सचिव अभिप्रेत है;
- (ठ) इस नियमावली में प्रयुक्त शब्दों एवं अभिव्यक्तियों, जो इस नियमावली में परिभाषित नहीं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में क्रमशः उनके लिए दिये गये हैं।

3. अध्यक्ष के चयन और नियुक्ति की रीति

- (1) बोर्ड के अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा ऐसे ख्यातिप्राप्त व्यक्ति में से जो जैव विविधता के संरक्षण एवं पोषणीय उपयोग तथा लाभों के साम्यपूर्ण प्रभाजन से सम्बन्धित विषयों में ज्ञान एवं अनुभव रखता हो:-
 - (क) जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव अथवा समकक्ष पद से अनिम्न पद पर कार्यरत हो अथवा ऐसे पद से सेवानिवृत्त हुआ हो तथा उपनियम (1) में उल्लिखित सम्बन्धित विषयों का न्यूनतम 25 वर्षों का कार्य अनुभव धारित करता हो, अथवा
 - (ख) जिसकी अधिकतम आयु 62 वर्ष हो तथा जैव विविधता के संरक्षण तथा पोषणीय उपयोग और लाभों के साम्यपूर्ण प्रभाजन से सम्बन्धित विषयो में न्यूनतम 25 वर्षों का अनुभव धारित करता हो, में से की जायेगी।
- (2) राज्य सरकार अध्यक्ष के चयन हेतु चयन समिति का गठन निम्नवत कर सकेगी—

(एक) मुख्य सचिव – अध्यक्ष

(दो) प्रमुख सचिव/सचिव, वन - सदस्य

(तीन) प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड – सदस्य

(चार) प्रमुख सचिव, कार्मिक - सदस्य

(पाँच) महानिदेशक, भारतीय वन अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद अथवा उनके प्रतिनिधि – सदस्य Provided that the applicant himself shall not be the member of the selection committee and if that be the case, the nomination may be made by Chief Secretary, Government of Uttarakhand.

- (3) Three months prior to the occurrence of vacancy of Chairman, a list of 05 suitable and interested candidates shall be prepared and sent to the selection committee by the following search committee-
 - (i) Principal Secretary/Secretary, Forest Chairman
 - (ii) Sitting Chairperson, Uttarakhand Biodiversity
 Board Member
 - (iii) Principal Chief Conservator of Forests
 (Wildlife), Uttarakhand Member

Provided that the applicant himself shall not be the member of the Search Committee and if that be the case, the nomination may be made by the State Government.

- (4) The candidate selected by the selection committee shall be appointed as the Chairperson by State Government.
- (5) For the purpose of execution of all work related to Selection Committee & Search Committee, Additional Secretary, Forest shall act as Member Secretary but shall not have the right to vote.

4. Term of Office of Chairperson

- (1) The Chairperson of the Board shall hold the office for a term of 03 years from the date of taking over the charge and shall be eligible for re-appointment.
- (2) The term of office of Chairperson, if appointed prior to retirement from service, shall be of 03 years but if appointed after retirement, shall be till the age of 65 years or completing the tenure of 03 years, whichever is earlier.
- (3) The Chairperson may resign from his office by giving at least one month prior written notice to the State Government.

परन्तु यह कि आवेदक स्वयं चयन समिति का सदस्य नहीं होगा तथा ऐसी स्थिति में मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन चयन समिति का एक सदस्य नामित कर सकेंगे।

- (3) अध्यक्ष का पद रिक्त होने से तीन माह पूर्व निम्नवत् गठित खोज समिति द्वारा अधिकतम 05 योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थियों की सूची तैयार कर चयन समिति को प्रेषित की जायेगी—
 - (एक) प्रमुख सचिव/ सचिव, वन

– अध्यक्ष

(दो) कार्यरत अध्यक्ष, उत्तराखण्ड जैव विविधना बोर्ड

– सदस्य

(तीन) प्रमुख वन संरक्षक, (वन्य जीव), उत्तराखण्ड

– सदस्य

परन्तु यह कि आवेदक स्वयं खोज समिति का सदस्य नहीं होगा तथा ऐसी स्थिति में राज्य सरकार खोज समिति का एक सदस्य नामित कर सकेगी।

- (4) चयन समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थी की अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगी।
- (5) चयन सिमिति एवं खोज सिमिति की समस्त कार्यवाही सम्पादित किये जाने हेतु अपर सिचव, वन सदस्य सिचव होंगे, परन्तु उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होगा।

4. अध्यक्ष की पदावधि

- (1) बोर्ड का अध्यक्ष कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 03 वर्ष की अविध के लिये पद धारण करेगा तथा पुनर्नियुक्ति के लिये पात्र होगा।
- (2) अध्यक्ष का कार्यकाल यदि वह अधिवर्षता आयु पूर्ण होने से पूर्व नियुक्त हुआ हो, तो 03 वर्ष का होगा परन्तु अधिवर्षता आयु पूर्ण होने के बाद नियुक्त होने की स्थिति में अधिकतम 65 वर्ष तक अथवा 03 वर्ष कार्यकाल, जो भी पहले हो, तक के लिये होगा।
- (3) अध्यक्ष राज्य सरकार को न्यूनतम एक माह पूर्व लिखित सूचना देकर अपना पद त्याग सकता है।

5. Pay and Allowances of Chairperson

- (1) Serving Government servant, if appointed as Chairperson under rule 3(1)(a), shall be entitled to the same salary and other allowances as otherwise would have been admissible to him.
- (2) Retired Government servant, if appointed as Chairperson under rule 3(1)(a), shall be fixed after considering the salary and other allowances drawn on the date of retirement and also the prevailing rules of the State Government.
- (3) The Chairman, appointed from the source other than from the serving or the retired Government servants, shall draw such salary and other allowances as may be determined by the State Government from time to time.

6. Office term and Allowances of Expert Members

- (1) The Expert member shall hold the post for a maximum of three years at a time from the date of nomination.
- (2) The expert member shall be entitled to such sitting allowance, travelling expenses, daily allowance and other allowances as may be fixed by the Board from time to time.

7. Filling up of vacancies arising from the resignation of Expert Members

- (1) The State Government shall appoint 05 expert members in the Board. Any expert member of the Board may resign from his post any time, by giving in writing addressed to the State Government under his signature and the seat of that member of the Board shall fall vacant from the date of his resignation.
- (2) A casual vacancy of expert member in the Board shall be filled up by a fresh nomination and the person nominated to fill the vacancy shall hold office only for the remainder of the term in whose place he was nominated.

8. Member-Secretary of the Board and Appointment of ex-officio members

(1) The appointment of Member-Secretary of the Board shall be made on deputation by the State Government from amongst such suitable serving Government officials having knowledge

5. अध्यक्ष के वेतन तथा भत्ते

- (1) नियम 3(1)(क) के अन्तर्गत कार्यरत सरकारी सेवक की नियुक्ति अध्यक्ष के रूप में होने पर देय वेतन व अन्य भत्ते वही होंगे जो वे अपने पद पर अन्यथा प्राप्त करते।
- (2) नियम 3(1)(क) के अन्तर्गत सेवानिवृत्त सरकारी सेवक की नियुक्ति अध्यक्ष के रूप में होने पर उन्हें सेवानिवृत्ति की तिथि को देय वेतन व अन्य भत्ते के समरूप तथा राज्य सरकार के प्रचलित नियमों के अनुसार निर्धारित/देय होगा।
- (3) सेवारत अथवा सेवानिवृत्त अधिकारी से भिन्न श्रेणी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति होने पर वेतन एवं अन्य भत्ते वही होंगे जैसा समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाये।

6. विशेषज्ञ सदस्यों की पदावधि एवं भत्ते

- (1) बोर्ड का विशेषज्ञ सदस्य नाम निर्देशन की तिथि से, एक समय में, अधिकतम तीन वर्ष की अविध के लिए पद धारण करेगा।
- (2) विशेषज्ञ सदस्य ऐसे बैठक भत्ते, यात्रा व्यय, दैनिक भत्ते तथा अन्य भत्तों का हकदार होगा जैसा समय – समय पर बोर्ड द्वारा अवधारित किया जाय।

7. विशेषज्ञ सदस्य के त्यागपत्र के कारण रिक्तियों का भरा जाना

- (1) राज्य सरकार द्वारा बोर्ड में कुल 05 विशेषज्ञ सदस्य नियुक्त किये जायेंगे। बोर्ड का कोई विशेषज्ञ सदस्य किसी भी समय राज्य सरकार को लिखित में सम्बोधित कर व हस्ताक्षर से अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा तथा बोर्ड में उस सदस्य का पद उसके त्याग पत्र देने की तारीख से रिक्त हो जायेगा।
- (2) बोर्ड में किसी विशेषज्ञ सदस्य की आकस्मिक रिक्ति नए नामनिर्देशन द्वारा की जायेगी तथा रिक्ति को भरने के लिए नामनिर्देशित व्यक्ति, उस सदस्य की, जिसके स्थान पर उसे नामनिर्दिष्ट किया गया है, की शेष अविध के लिए पद धारण करेगा।

8. बोर्ड का सदस्य-सचिव तथा पदेन सदस्यों की नियुक्ति

(1) राज्य सरकार द्वारा बोर्ड के सदस्य—सचिव की नियुक्ति ऐसे उपयुक्त कार्यरत राजकीय अधिकारियों, जो वन संरक्षक स्तर से अनिम्न श्रेणी के पद धारक अथवा समकक्ष वेतनमान/ग्रेड वेतन आहरित करते हों तथा जिन्हें जैव विविधता

- and experience in the subject of conservation & sustainable use of biological diversity and holding post not below the rank of Conservator of Forests or equivalent pay scale/grade pay.
- (2) Four ex-officio members of the Board shall be appointed by the State Government from different departments such as Forests, Environment, Agriculture, Animal Husbandry, Horticulture, Biotechnology etc.

9. Functions of Member-Secretary of the Board

- (1) The Member-Secretary shall act as Head of the Office for day to day administration, management of funds and implementation of various activities of the programmes under the guidance of the Chairperson of the Board.
- (2) All orders or instructions issued by the Chairperson shall be under the signature of the Member-Secretary or of any other officer authorized in this behalf by the Board.
- (3) The Member-Secretary or an officer duly authorized by the Chairperson may sanction and disburse all payments against the approved budget.
- (4) The Member-Secretary shall be responsible for the safe custody of all documents including confidential papers of the Board and he shall produce such papers whenever directed by the Board/ State Government.
- (5) The Member-Secretary shall write and maintain confidential reports of all the officers and staff of the Board and shall get them countersigned by the Chairperson.
- (6) The Member-Secretary shall perform such other functions as may be assigned to him by the Chairperson/Board/State Government from time to time.

10. Head quarter of the Board

Head quarter of the Board shall be at Dehradun

11. Meetings of the Board

(1) The meetings of the Board shall be normally held once in every three months at the Head quarter of the Board or at such place, as may be decided by the Chairperson.

के संरक्षण एवं पोषणीय उपयोग के विषय में ज्ञान तथा अनुभव हो, में से की जायेगी।

(2) बोर्ड के चार पदेन सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों जैसे वन, पर्यावरण, कृषि, पशुपालन, उद्यान, जैव प्रौद्योगिकी आदि में से किया जायेगा।

9. बोर्ड के सदस्य-सचिव के कृत्य

- (1) बोर्ड के अध्यक्ष के मार्गदर्शन में, बोर्ड के दिन-प्रतिदिन के प्रशासन, निधियों के प्रबन्धन तथा विभिन्न क्रिया कलापों व कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु सदस्य सचिव कार्यालयाध्यक्ष की भॉति कार्यवाही करेंगे।
- (2) अध्यक्ष द्वारा पारित समस्त आदेश या अनुदेश सदस्य सचिव अथवा बोर्ड द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी होंगे।
- (3) सदस्य-सचिव अथवा अन्य अधिकारी, जिन्हें अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत किया गया हो, अनुमोदित बजट के सापेक्ष समस्त भुगतानों को स्वीकृत तथा संवितरित कर सकेगा।
- (4) सदस्य–सचिव, बोर्ड के गोपनीय अभिलेखों सिहत समस्त अन्य अभिलेखों की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा तथा बोर्ड/राज्य सरकार द्वारा निर्देशित किये जाने पर वह ऐसे अभिलेख प्रस्तुत करेगा।
- (5) सदस्य सचिव, बोर्ड के समस्त अधिकारियों तथा कर्मचारियों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन लिखेगा तथा उन्हें अध्यक्ष से प्रतिहस्ताक्षरित करायेगा।
- (6) सदस्य–सचिव ऐसे अन्य कृत्यों को सम्पादित करेगा जैसा अध्यक्ष/बोर्ड/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर उन्हें सौंपे जाए।

10. बोर्ड का मुख्यालय

बोर्ड का मुख्यालय देहरादून में अवस्थित होगा।

11. बोर्ड की बैठकें

(1) बोर्ड की बैठकें सामान्यतः प्रत्येक त्रैमास में एक बार, बोर्ड के मुख्यालय अथवा ऐसे स्थान पर, जो अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किया जाय, आहूत की जायेंगी।

- (2) The Chairperson shall, upon a written request from not less than six members of the Board or upon a direction of the Authority/State/Central Government, may call a special meeting of the Board.
- (3) The members shall be given at least fifteen days advance notice for holding an ordinary meeting and at least three days advance notice for holding a special meeting specifying the purpose, time and place at which such meeting is to be held.
- (4) Every meeting shall be presided over by the Chairperson of the Board and in his absence, by a presiding officer to be elected by the members present from amongst themselves.
- (5) The decision of the Board at a meeting shall, if necessary, be taken by a simple majority of the members present and voting. The Chairperson or in his absence, the member presiding, shall have a second or casting vote.
- (6) Each member shall have one vote.
- (7) The quorum at every meeting of the Board shall be five.
- (8) No Member shall be entitled to bring forward, for the consideration of meeting, any matter of which he has not given ten days' notice unless the Chairperson in his discretion permits him to do so.
- (9) Notice of the meeting may be given to the Members by delivering the same by messenger or sending it by registered post to his last known place of residence or business or in such other manner as the Member-Secretary of the Board may, in the circumstances of the case, think fit.
- (10) In addition, the Board may stipulate such procedure for conduct of business, as it may deem fit and proper.

12. General functions of the Board

In particular and without prejudice to the generality of other provisions, the following functions may be performed by the Board:-

- (1) To lay down the procedure and guidelines to govern the activities provided under section 23 of the Act;
- (2) To advise the State Government on any matter concerning conservation of bio-diversity, sustainable use of its components

- (2) अध्यक्ष, बोर्ड के न्यूनतम छः सदस्यों के लिखित अनुरोध पर अथवा यथास्थिति प्राधिकरण/राज्य/केन्द्र सरकार के निर्देश पर, बोर्ड की विशेष बैठक आहूत कर सकेगा।
- (3) सामान्य बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम पन्द्रह दिन की पूर्व सूचना तथा विशेष बैठक हेतु न्यूनतम तीन दिन की पूर्व सूचना, उद्देश्य, समय तथा स्थान, जहाँ पर ऐसी बैठक किया जाना प्रस्तावित है, निर्दिष्ट करते हुए सदस्यों को प्रेषित की जायेगी।
- (4) प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा की जायेगी एवं उनकी अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यों द्वारा अपने में से चुने गये पीठासीन अधिकारी द्वारा की जायेगी।
- (5) बोर्ड की किसी बैठक में विनिश्चय, यदि आवश्यक हो, तो उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से मत द्वारा किया जायेगा। अध्यक्ष अथवा उनकी अनुपस्थिति में अध्यक्षता करने वाले सदस्य का मत द्वितीय या निर्णायक होगा।
- (6) प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा।
- (7) बोर्ड की प्रत्येक बैठक की गणपूर्ति पाँच होगी।
- (8) कोई सदस्य किसी मामले को, जिसकी उसने दस दिन पूर्व सूचना न दी हो, बैठक में विचारण के लिए लाने का हकदार नहीं होगा, जब तक कि अध्यक्ष स्वविवेक से उसे ऐसा करने की अनुज्ञा न प्रदान कर दें।
- (9) सदस्यों को बैठक की सूचना, उनके अन्तिम ज्ञात निवास या कारोबार के स्थान पर संदेशवाहक द्वारा अथवा रिजस्ट्रीकृत डाक से भेजकर अथवा ऐसे अन्य रीति से, जैसा बोर्ड के सदस्य-सचिव मामले की परिस्थितियों में उचित समझें, दी जा सकेगी।
- (10) इसके अतिरिक्त बोर्ड अपने कारोबार के संव्यवहार के लिए ऐसी अन्य प्रक्रिया बना सकेगा, जैसा कि उपयुक्त तथा उचित समझा जाये।

12. बोर्ड के साधारण कृत्य

विशिष्टतया एवं अन्य उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड निम्नलिखित कृत्यों का पालन कर सकेगा:-

- (1) अधिनियम की धारा 23 में उपबंधित क्रियाकलापों को शासित करने के लिए प्रक्रिया तथा मार्गदर्शक सिद्धान्त निर्धारित करना;
- (2) राज्य सरकार को जैव विविधता के संरक्षण, उसके अवयवों के पोषणीय उपयोग तथा जैव संसाधनों और सहबद्ध ज्ञान के वाणिज्यिक उपयोग से

- and fair & equitable sharing of benefits arising out of the commercial utilization of biological resource and associated knowledge;
- (3) To regulate by granting of approval or otherwise, requests for commercial utilization or bio-survey and bio-utilization of biological resource received from Indian nationals/organization;
- (4) To facilitate updating and implementation of State Biodiversity Strategy and Action Plan;
- (5) To sponsor studies, investigations & research and organize Conferences/Seminars/Workshops/ Meetings on various issues related to biodiversity;
- (6) To engage on contract Consultants/Manager/ Technical Assistant/Research Assistant, as required, for a specific period not exceeding three years, for providing technical assistance in the effective discharge of the functions of the Board;
- (7) To collect, compile and publish technical and statistical data, manuals, codes or guidelines relating to the conservation of biodiversity, sustainable use of its components and fair & equitable sharing of benefits arising out of the commercial utilization of biological resource and associated knowledge;
- (8) To Organise through mass media a comprehensive programme regarding conservation of biodiversity, sustainable use of its components and fair and equitable sharing of benefits arising out of the commercial utilization of biological resources and knowledge;
- (9) To plan and organise training of personnels engaged or likely to be engaged in programmes for the conservation of biodiversity and sustainable use of its components;
- (10) To take necessary steps to build up data base and to create information and documentation system for biological resources and associated traditional knowledge through People's Biodiversity Registers and electronic data base, to ensure effective management, promotion and sustainable use;
- (11) To give directions to the Local Bodies/Biodiversity Management Committees in writing or through appropriate oral means,

उद्भूत लाभ के उचित एवं साम्यपूर्ण प्रभाजन से सम्बन्धित विषयों के सम्बन्ध में सलाह देना:

- (3) भारतीय व्यक्ति/संस्था से जैव संसाधन के वाणिज्यिक उपयोग या जैव संसाधनों के जैव सर्वेक्षण तथा जैविक उपयोग के लिए प्राप्त अनुरोधों को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर विनियमित करना;
- (4) राज्य जैव विविधता रणनीति तथा कार्ययोजना का अद्यतनीकरण एवं कार्यान्वयन को सुगम बनाना;
- (5) जैव विविधता सम्बन्धी अध्ययन, अन्वेषण, अनुसंधान का प्रायोजन एवं संबंधित विभिन्न मुद्दों पर सम्मेलन/ संगोष्ठी/कार्यशालायें/बैठकें आयोजित करना;
- (6) बोर्ड के कृत्यों के प्रभावी निष्पादन में तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने हेतु आवश्यकतानुसार एक विनिर्दिष्ट कालाविध के लिए संविदा पर, जो तीन वर्ष से अधिक न हो, सलाहकार/प्रबन्धक/ तकनीकी सहायक/अनुसंधान सहायक नियुक्त करना;
- (7) जैव विविधता के संरक्षण उसके अवयवों के पोषणीय उपयोग तथा जैव संसाधनों एवं ज्ञान से उद्भूत लाभों के उचित और साम्यपूर्ण प्रभाजन से सम्बन्धित तकनीकी और सांख्यिकीय आँकड़े (डाटा), निर्देशिका (मैनुअल), संहिताए (कोड्स) या दिशा—निर्देश (गाइड्लाईन्स) संग्रहीत, संकलित तथा प्रकाशित करना;
- (8) जनसंपर्क साधनों के माध्यम से जैव विविधता संरक्षण, उसके संघटकों के पोषणीय उपयोग तथा जैविक संसाधनों व सहबद्ध ज्ञान के उपयोग से उद्भूत लाभों के उचित और साम्यपूर्ण प्रभाजन से सम्बन्धित व्यापक कार्यक्रम आयोजित करना;
- (9) जैव विविधता संरक्षण और उसके संघटकों के पोषणीय उपयोग सम्बंधी कार्यक्रमों में लगे हुए या सम्भावित रूप से लगाये जाने वाले कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण नियोजित तथा आयोजित करना;
- (10) प्रभावी प्रबन्धन, संवर्धन तथा पोषणीय उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए जैव विविधता रजिस्टर तथा इलैक्ट्रोनिक डाटा बेस के माध्यम से जैव संसाधनों तथा सहबद्ध पारम्परिक ज्ञान के लिए डाटा बेस तैयार करने तथा सूचना व दस्तावेज पद्धति सृजित करने के लिए आवश्यक कदम उठाना;
- (11) स्थानीय निकायों/जैव विविधता प्रबन्धन समितियों को लिखित में या उपयुक्त मौखिक साधनों के माध्यम से अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन

- for effective implementation of the Act, and to facilitate their meaningful participation in all measures relating to conservation, sustainable use and equitable benefit sharing;
- (12) To report to the State Government about the functioning of the Board and implementation of the rules made under the Act;
- (13) To devise method to ensure protection of rights including intellectual property right over biological resources and associated knowledge by engaging legal experts and develop such systems of maintaining information as appropriate, including the protection of the information recorded in People's Biodiversity Register;
- (14) To undertake physical inspection of any area in connection with the implementation of the Act;
- (15) To ensure that bio-diversity dependant livelihood projects are integrated into all sectors of planning and management, and every level of planning from state to local level, to enable such sectors and administrative levels to contribute effectively for conservation and sustainable use;
- (16) To prepare the annual Budget of the Board incorporating its own receipts along with the receipts from the State, Central Government and National Biodiversity Authority and other means;
- (17) To recommend creation of posts to the State Government for effective discharge of the functions of the Board, provided that no such post whether permanent/ temporary would be created without prior approval of the State Government;
- (18) To notify Biodiversity heritage sites under section 37 of the Act and take necessary measures for its management and conservation;
- (19) Board shall endeavour to mainstream the issues concerned with conservation of biodiversity into the local level developmental schemes;
- (20) To provide technical guidance and advise to various Department of the State Government in the matter of Biodiversity;
- (21) To reward person/community/institution for contribution or innovative work in the field of biodiversity conservation, its sustainable use and sharing of benefits in the State;

तथा संरक्षण, पोषणीय उपयोग व साम्यपूर्ण लाभों के प्रभाजन से सम्बन्धित समस्त उपायों में उनकी सार्थक सहभागिता को सुगम बनाने के लिए निर्देश देना;

- (12) बोर्ड की कार्य पद्धति तथा अधिनियम एवं उसके अधीन बनाये गये नियमों के क्रियान्वयन के बारे में राज्य सरकार को रिपोर्ट देना:
- (13) जैविक संसाधन तथा उससे सहबद्ध ज्ञान पर आधारित बौद्धिक सम्पदा अधिकार सहित अन्य अधिकारों व ऐसी जानकारी को समुचित बनाये रखे जाने की प्रणाली विधिक विशेषज्ञों को नियुक्त कर विकसित करना तथा जैव विविधता रजिस्टर में उल्लेखित जानकारी का संरक्षण सुनिश्चित करने के उपाय करना;
- (14) अधिनियम के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में किसी क्षेत्र का भौतिक निरीक्षण करना;
- (15) यह सुनिश्चित करना कि जैव विविधता तथा उस पर आश्रित आजीविका योजना एवं प्रबन्धन के समस्त क्षेत्रों तथा राज्य स्तर से स्थानीय तक सभी स्तरों पर नियोजन में एकीकृत हो जाए ताकि ऐसे क्षेत्रों और प्रशासकीय स्तरों को संरक्षण तथा पोषणीय उपयोग के लिए प्रभावी योगदान देने के लिए समर्थ बनाया जा सके;
- (16) राज्य, केन्द्र सरकार, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण व अन्य उपायों से तथा स्वयं की प्राप्तियों को समाविष्ट करते हुए बोर्ड का वार्षिक बजट तैयार करना:
- (17) बोर्ड के कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए, राज्य सरकार को पदों के सृजन के लिए संस्तुति करना, परन्तु राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसा कोई स्थाई / अस्थाई पद सृजित नहीं किया जायेगा;
- (18) अधिनियम की धारा 37 के अनुरूप जैव विविधता विरासत स्थलों को अधिसूचित कराना एवं इसके प्रबन्धन तथा संरक्षण के लिए समुचित उपाय करना;
- (19) बोर्ड द्वारा स्थानीय स्तर पर विकास योजनाओं में जैव विविधता संरक्षण से सम्बन्धित मुद्दों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जायेगा;
- (20) जैव विविधता के विषय पर राज्य सरकार के विभिन्न विभागों को तकनीकी मार्गदर्शन व परामर्श प्रदान करना:
- (21) व्यष्टि/समूह/संस्था को उनके द्वारा राज्य में जैव विविधता संरक्षण क्षेत्र में किये गये अभिनव कार्यों तथा उसमें योगदान के लिए पुरस्कृत करना;

- (22) To adopt various measures for increase of revenue like fixed deposits, advertisements, securities, donation and others;
- (23) To sanction grants-in-aid and grants to the Biodiversity Management Committees for specific purposes as per the requirement and availability of fund;
- (24) To hire services of legal experts and taking other necessary measures to oppose grant of intellectual property right on any biological resources and associated knowledge obtained in illegal manner from the State;
- (25) To perform such other functions necessary to implement the provisions of the Act or as may be directed by the State Government from time to time;

13. Powers and duties of Chairperson

- (1) The Chairperson shall be the Chief Executive of the Board and Head of the Department and shall have the overall control of the Board.
- (2) The Chairperson shall convene and preside over all the meetings of the Board and shall ensure that all decisions taken by the Board are implemented in proper manner.
- (3) The Chairperson either himself or through an officer of the Board authorized for the purpose, may sanction and disburse all payments against the approved budget.
- (4) The Chairperson shall have full powers for granting administrative and technical sanction to all estimates.
- (5) The Chairperson shall exercise such other powers and perform such other functions as may be delegated to him from time to time by the Board/State Government.

14. Procedure for access to biological resources and associated traditional knowledge

(1) Any citizen of India or a body corporate, organization or association registered in India, intending to undertake any activity referred to in Sec. 7 of the act, in the territory of Uttarakhand, shall give prior intimation to the Board in Form-1.

- (22) राजस्व उत्पादन में वृद्धि के विभिन्न तरीके यथा सावधि जमा, विज्ञापन, प्रत्याभूति, दान तथा अन्य ऐसे तरीके अपनाना;
- (23) जैव विविधता प्रबन्धन समितियों को विशिष्ट प्रयोजनों के लिए बजट की आवश्यकता एवं उपलब्धता के अनुरूप सहायता तथा अनुदान स्वीकृत करना;
- (24) राज्य से किसी अवैध रीति से अभिप्राप्त किसी जैवीय संसाधन व ज्ञान आधारित बौद्धिक सम्पदा अधिकार अनुदत्त किये जाने का विरोध करने के लिए विधि विशेषज्ञों की सेवाए लेने सहित अन्य आवश्यक उपाय करना;
- (25) ऐसे अन्य कृत्य, जो अधिनियम के उपबन्धों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक हो अथवा जो राज्य सरकार द्वारा समय – समय पर निर्देशित किये जाएँ:

13. अध्यक्ष की शक्तियाँ तथा कर्तव्य

- (1) अध्यक्ष, बोर्ड का मुख्य कार्यपालक व विभागाध्यक्ष होगा तथा बोर्ड पर उसका सम्पूर्ण नियंत्रण होगा।
- (2) अध्यक्ष बोर्ड की सभी बैठकों को आहूत तथा उनकी अध्यक्षता करेगा एवं यह सुनिश्चित करेगा कि बोर्ड द्वारा लिये गये सभी निर्णयों का क्रियान्वयन एवं अनुपालन समुचित रीति से हो रहा है।
- (3) अध्यक्ष या तो स्वयं अथवा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत किसी अधिकारी के माध्यम से अनुमोदित बजट के सभी भुगतानों को स्वीकृत एवं संवितरित कर सकेगा।
- (4) अध्यक्ष को सभी प्राक्कलनों की प्रशासनिक तथा तकनीकी मंजूरी अनुदत्त करने की पूर्ण शक्ति होगी।
- (5) अध्यक्ष की अन्य ऐसी शक्तियाँ व कर्तव्य होंगे जैसा उसे समय–समय पर बोर्ड अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रतिनिधायित की जाये।

14. जैव संसाधनों व सहबद्ध पारम्परिक ज्ञान तक पहुँच के लिये प्रक्रिया

(1) भारत का कोई नागरिक या भारत में रिजस्ट्रीकृत निगमित निकाय, संगठन या संस्था, जो अधिनियम की धारा 7 में निर्दिष्ट कार्यकलाप उत्तराखण्ड राज्य की सीमा में करने की मंशा रखता हो, राज्य जैव विविधता बोर्ड को इसकी पूर्व सूचना प्ररूप–1 पर देगा।

- (2) Every such application in Form-1, shall be accompanied by fees in the form of demand draft from Nationalized Bank as prescribed below for different kinds of commercial utilization of biological resources:
 - (i) For commercial utilization such as trading and manufacturing : ₹ 10,000/-
 - (ii) For bio-survey/bio-utilization/research etc.
 meant for commercial utilization :₹ 5,000/-
 - (iii) For bio-survey/bio-utilization/research etc.
 not for commercial utilization : No fee

Provided that the above fee may be revised by the Board from time to time.

- (3) The Board shall, in consultation with the concerned local bodies, after collecting such other information, as may be required and making such enquires, as it may deem fit, dispose of the application, as far as possible, within a period of six months from the date of its receipt.
- (4) On being satisfied with the merit of the application, the Board may grant the approval for access to biological resources and associated knowledge subject to such term and conditions as it may deem fit to impose.
- (5) A written agreement for access and benefit sharing (ABS) shall also be signed between authorized officer of the Board and the applicant. The format of the agreement shall be as prescribed by the Board from time to time.

Provided that the access and benefit sharing shall be implemented in the manner provided in the guidelines/regulations as notified by National Biodiversity Authority/Central Government from time to time.

- (6) The approval of access/collection of biological resources may provide special measures for its conservation and maintenance of biological resource to which the access to/collection is being granted.
- (7) The Board may for reasons to be recorded in writing reject the application, if it considers that the request cannot be acceded to.

- (2) विभिन्न प्रकार के जैव संसाधनों के वाणिज्यिक उपयोग हेतु प्ररूप–1 में प्राप्त प्रत्येक आवेदन के साथ निम्नवत निर्धारित शुल्क राष्ट्रीयकृत बैंक के बैंक ड्राफ्ट के रूप में संलग्न होगा:
 - (एक) व्यापार अथवा विनिर्माण हेतु वाणिज्यिक उपयोग : ₹10,000/-
 - (दो) जैव सर्वेक्षण/जैविक उपयोग/अनुसंधान आदि हेतु वाणिज्यिक उपयोग : ₹5,000/—
 - (तीन) जैव सर्वेक्षण/जैविक उपयोग/अनुसंधान आदि हेतु गैर–वाणिज्यिक उपयोग : शुल्क रहित

परन्तु यह कि उपरोक्त शुल्क बोर्ड द्वारा समय-समय पर पुर्ननिर्धारित किया जा सकेगा।

- (3) बोर्ड, सम्बन्धित स्थानीय निकायों से परामर्श एवं ऐसी अन्य जानकारी एकत्रित कर, जो आवश्यक हो, तथा ऐसी जॉच, जो ठीक समझी जाये के पश्चात आवेदन का निपटारा यथासम्भव आवेदन प्राप्ति के छः माह के अन्दर करेगा।
- (4) बोर्ड, आवेदन के गुणागुण समाधान हो जाने के पश्चात जैव संसाधनों और सहबद्ध ज्ञान तक पहुँच का अनुमोदन ऐसे निबन्धनों एवं शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें अधिरोपित करने के लिये ठीक समझी जाये, अनुदत्त कर सकता है।
- (5) पहुँच तथा लाभ के सहभाजन के सम्बन्ध में बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारी तथा आवेदक के मध्य लिखित करार भी हस्ताक्षरित होगा। करार का प्रारूप बोर्ड द्वारा समय—समय विनिश्चित किया जायेगा।

परन्तु पहुँच व लाभ के प्रभाजन का क्रियान्वयन उसी प्रकार से किया जायेगा, जैसा राष्ट्रीय जैव विविवधता प्राधिकरण/भारत सरकार द्वारा समय–समय पर दिशा–निर्देश/विनियमन अधिसूचित किया जाये।

- (6) पहुँच/संग्रहण की शर्तों में, जैव संसाधनों के, जिनके लिए, पहुँच/संग्रहण स्वीकृत की जा रही हो, के संरक्षण तथा अनुरक्षण के लिए विशेष रूप से उपाय के उपबन्ध विनिर्दिष्ट किये जा सकते हैं।
- (7) बोर्ड, लेखाबद्ध किये जाने वाले कारणों से किसी आवेदन को अस्वीकृत कर सकेगा, यदि ऐसा लगे कि अनुरोध पर विचार नहीं किया जा सकता।

- (8) No application shall be rejected unless the applicant is given a reasonable opportunity of being heard.
- (9) Any information given in Form-1 as prior intimation shall be kept confidential.

15. Revocation of access or approval

- (1) The Board may either on the basis of any complaint or suo moto withdraw the approval granted for access and revoke the written agreement under the following conditions; namely:-
 - (a) on the basis of reasonable belief that the person to whom the approval was granted has violated any of the provisions of the Act or the condition on which the approval was granted;
 - (b) when the person who has been granted approval has failed to comply with the terms of the agreement;
 - (c) on failure to comply with any of the conditions of access granted;
 - (d) on account of overriding public interest or for protection of environment and conservation of biological diversity;
- (2) The Board shall send a copy of every order of revocation issued by it to the concerned Biodiversity Management Committees for prohibiting the access and also to assess the damage, if any, caused and take steps to recover the damage.

16. Restriction on activities related to access to biological resources:

- (1) The Board, if it deems necessary and appropriate shall take steps to restrict or prohibit the request for access to biological resources for the following reasons; namely:-
 - (a) the request for access is for any endangered taxa;
 - (b) the request for access is for any endemic and rare species;
 - (c) the request for access may likely to result in adverse effect on the livelihoods, culture and traditional knowledge of the local people;

- (8) कोई आवेदन तब तक अस्वीकृत नहीं किया जायेगा जब तक आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न प्रदान किया गया हो।
- (9) पूर्व सूचना के लिए उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्ररूप में दी गई जानकारी गोपनीय रखी जायेगी।

15. पहुँच अथवा अनुमोदन का प्रतिसंहरण

- (1) बोर्ड निम्नलिखित परिस्थितियों के अधीन या किसी शिकायत के आधार पर अथवा स्वप्रेरणा से, पहुँच सम्बन्धी दी गयी स्वीकृति को वापस ले सकेगा तथा लिखित करार का प्रतिसंहरण कर सकेगा:—
 - (क) इस युक्तियुक्त विश्वास के आधार पर कि उस व्यक्ति ने जिसे अनुमोदन अनुदत्त किया गया था, अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों या शर्त का उल्लंघन किया है, जिसके आधार पर आवेदन स्वीकृत किया गया था;
 - (ख) वह व्यक्ति जिसे अनुमोदन अनुदत्त किया गया है, करार के निबंधनों का अनुपालन करने में असफल रहा है;
 - (ग) अनुदत्त पहुँच की शर्तों में से किसी का अनुपालन करने में असफल होने पर;
 - (घ) लोकहित या पर्यावरण सुरक्षा तथा जैव विविधता संरक्षण का अतिलंघन करने पर:
- (2) बोर्ड, ऐसी प्रतिसंहरण के प्रत्येक आदेश की एक प्रति, पहुँच को निषिद्ध करने एवं नुकसान निर्धारण हेतु तथा हानि, यदि कोई हो, तो उसकी वसूली के लिए कदम उठाने के लिए जैव विविधता प्रबन्धन समिति को प्रेषित करेगा।

16. जैव संसाधनों तक पहुँच से सम्बन्धित क्रिया-कलापों पर निर्बन्धन

- (1) बोर्ड यदि आवश्यक तथा उपयुक्त समझे तो, निम्नलिखित कारणों से जैव संसाधनों तक पहुँच के अनुरोध को निर्बन्धित तथा प्रतिषिद्ध करने के लिए कदम उठायेगा:-
 - (क) पहुँच के लिए अनुरोध किसी संकटापन्न टैक्सा के लिए हो;
 - (ख) पहुँच के लिए अनुरोध किसी स्थानिक तथा दुर्लभ प्रजाति के लिए हो;
 - (ग) पहुँच के लिए अनुरोध से स्थानीयजनों की जीविका, संस्कृति तथा पारम्परिक ज्ञान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो;

- (d) the request to access may result in adverse environmental impact which may be difficult to control and mitigate;
- the request for access may cause genetic erosion or affecting the ecosystem function;
- (f) use of biological resources for purposes contrary to interest of State Government, national interest, and other related international agreements entered into by India.

17. Annual Report and Annual Statement of accounts

- (1) The Board shall prepare its annual report for each financial year giving detailed account of its activities of previous financial year and the annual statement of accounts and submit the same to the State Government.
- (2) The Board shall submit the annual report and the annual audited statement within 06 months from the date of closing of the accounts i.e. 30 September, to the State Government.
- (3) The accounts of the State Biodiversity Board shall be maintained and audited in consultation with the Accountant-General of the State. Board shall furnish audited copy of accounts together with auditor's report to the State Government by October 30th of each year in Form-2.
- (4) The State Government shall cause the annual report and auditor's report to be laid, as soon as may be, after they are received, before the house of State Legislature.

$\textbf{18. Constitution} \ \textbf{and functions of Biodiversity Management Committees}$

- Every local body shall constitute a Biodiversity Management Committee (BMC) within its area as provided under sub-section (1) of section 41 of the Act.
- (2) The Biodiversity Management Committee as constituted under sub-rule (1) shall consist of a Secretary and not more than six persons nominated by the local body, of whom not less than one third should be women and not less than 18% should belong to the Scheduled Castes/Scheduled Tribes;

- (घ) पहुँच के लिए अनुरोध का विपरीत पर्यावरणीय प्रभाव की सम्भावना हो, जिसका नियंत्रण एवं उपशमन किया जाना कठिन हो;
- (ङ) पहुँच के लिए अनुरोध से आनुवांशिक क्षरण की सम्भावना हो अथवा पारिस्थितिकीय तंत्र की क्रियाविधि प्रभावित हो सकती हो:
- (च) राज्यहित के प्रतिकूल अथवा राष्ट्रीय हित व भारत द्वारा किये गये अन्तर्राष्ट्रीय अनुबन्धों के विपरीत उद्देश्यों के लिए संसाधनों का उपयोग।

17. वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखाओं का वार्षिक विवरण

- (1) बोर्ड प्रत्येक वित्तीय वर्ष में पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसे क्रियाकलापों तथा वार्षिक लेखा का विवरण देते हुए, अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा तथा उसे राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा।
- (2) बोर्ड वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट को लेखा बन्द किये जाने के छ: माह के भीतर अर्थात 30 सितम्बर तक, राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा।
- (3) राज्य जैव विविधता बोर्ड का लेखा राज्य के महालेखाकार के परामर्श से अनुरक्षित तथा लेखा परीक्षित किया जायेगा। लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट सहित सम्प्रेक्षित लेखा की प्रति प्रत्येक वर्ष 30 अक्टूबर तक प्ररूप-2 में बोर्ड द्वारा राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जायेंगे।
- (4) वार्षिक रिपोर्ट तथा वार्षिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट प्राप्ति के पश्चात् राज्य सरकार यथाशीघ्र उसे राज्य विधान सभा के समक्ष रखवायेगी।

18. जैव विविधता प्रबन्धन समितियों का गठन व कृत्य

- (1) प्रत्येक स्थानीय निकाय अधिनियम की धारा 41 की उपधारा (1) के अधीन अपनी अधिकारिता के भीतर जैव विविधता प्रबंध समिति (बी 0 एम 0 सी 0) का गठन करेगी।
- (2) उप-नियम (1) के अधीन यथागिठत जैव विविधता प्रबन्ध समिति एक सचिव तथा स्थानीय निकाय द्वारा नाम निर्दिष्ट अधिकतम छः व्यक्तिों से मिलकर बनेगी, जिनमें एक तिहाई से अन्यून महिलाएँ तथा 18 प्रतिशत से अन्यून अनुसूचित जाति/जनजाति के होने चाहिए;

Provided that the members of the committee shall be the proven resident of the local body and their names should be included in the electoral roll of the concerned local body.

- (3) The Chairperson of the Biodiversity Management Committee shall be elected from amongst 06 nominated members of the committee in a meeting to be chaired by the Chairperson of the local body. The Chairperson of the local body shall have the casting votes in case of a tie.
- (4) The Divisional Forest Officers of territorial Forest Divisions shall be the Nodal Officers to help the Board and oversee the activities related to Biodiversity Management Committees.
- (5) The Secretary of the Biodiversity Management Committee shall be nominated by the Nodal Officer/Divisional Forest Officer (territorial) within their jurisdiction from amongst Forest Guard/ Forester/Dy. Ranger of the Forest department, posted nearest to the concerned local body.
- (6) The local Member of State Legislative Assembly and Member of Parliament would be special invitees to the meetings of the Committee.
- (7) The tenure of the Biodiversity Management Committee shall be maximum of 05 years and shall be co-terminus with the tenure of the local body, however, the existing BMC shall continue to function, until a new committee is constituted.
- (8) The BMCs shall hold a minimum of 4 meetings in a year and meet at least once in every 3 months. The meetings shall be chaired by the Chairperson of the BMC, and in his/her absence, by any other member elected by the members present. The quorum at every meeting shall be 03 including the Chairperson and excluding official member (secretary).
- (9) The main function of the BMC is to prepare People's Biodiversity Register (PBR) in consultation with local people. The Register shall contain comprehensive information on availability and knowledge of local biological resources, their medicinal or any other use or any other traditional knowledge associated with them. A Bio-Cultural Community Protocol (BCP) shall also be prepared to promote Access and Benefit sharing (ABS) as an annexure of People's Biodiversity Register.

परन्तु यह कि समिति का सदस्य स्थानीय निकाय का प्रमाणिक निवासी होना चाहिए तथा उनका नाम सम्बन्धित स्थानीय निकाय की मतदाता सूची में सम्मिलित होना चाहिए।

- (3) जैव विविधता प्रबन्धन समिति का अध्यक्ष, स्थानीय निकाय के अध्यक्ष की अध्यक्षता में की जाने वाली बैठक में, समिति के 06 नामित सदस्यों में से निर्वाचित किया जायेगा। मत बराबर होने पर स्थानीय निकाय के अध्यक्ष को निर्णायक मत का अधिकार होगा।
- (4) बोर्ड की सहायता एवं जैव विविधता प्रबन्ध समिति के क्रियाकलापों पर नजर रखने हेतु वन विभाग के सभी क्षेत्रीय प्रभागीय वनाधिकारी अपने अधिकारिता क्षेत्र के अन्तर्गत नोडल अधिकारी होंगे।
- (5) नोडल अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी (क्षेत्रीय) द्वारा अपनी अधिकारिता क्षेत्र अन्तर्गत सम्बन्धित स्थानीय निकाय के समीपस्थ तैनात वन विभाग के वन रक्षक/फोरेस्टर/डिप्टी रेंजर को जैव विविधता प्रबन्ध समिति का सचिव नामित किया जायेगा।
- (6) विधान सभा के स्थानीय सदस्य तथा संसद सदस्य सिमति की बैठकों में विशेष आमंत्री होंगे।
- (7) जैव विविधता प्रबन्ध समिति का कार्यकाल अधिकतम 05 वर्ष तथा स्थानीय निकाय के कार्यकाल के समरूप होगा, यद्यपि नई समिति के गठन होने तक मौजूदा जैव विविधता प्रबन्ध समिति कार्य संचालित करती रहेगी।
- (8) जैव विविधता प्रबन्ध समिति वर्ष में न्यूनतम 04 बार तथा 03 माह में कम से कम एक बार बैठकों का आयोजन करेगी। बैठकों की अध्यक्षता जैव विविधता प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष तथा उनकी अनुपस्थिति में अन्य उपस्थित सदस्यों में से चुना गया सदस्य करेगा। प्रत्येक बैठक हेतु अध्यक्ष सहित तथा आधिकारिक सदस्य (सचिव) को छोडकर गणपूर्ति की संख्या 03 होगी।
- (9) जैव विविधता प्रबन्धन समिति के मुख्य कृत्य स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से लोक जैव विविधता रजिस्टर (पी०बी०आर०) तैयार करना है। रजिस्टर में स्थानीय जैव संसाधनों, उनके चिकित्सीय या अन्य उपयोग या उनसे सहबद्ध अन्य पारंपरिक ज्ञान की उपलब्धता और ज्ञान के संबंध में व्यापक जानकारी अंतर्विष्ट होगी। पहुँच व लाभ के प्रभाजन (ए०बी०एस०) को प्रोत्साहित करने हेतु लोक जैव विविधता पंजिका के संलग्नक के रूप में जैव सांस्कृतिक समुदाय संलेख (बी०सी०पी०) भी निरूपित किया जायेगा।

The BMC shall be responsible for ensuring the protection of the knowledge recorded in PBR, especially to regulate its access to outside persons and agencies.

- (10) In addition to preparation of the People's Biodiversity Register, the BMCs in their respective jurisdiction shall also be responsible for the following:-
 - (a) Conservation, sustainable use and access and benefit sharing of biological resources.
 - (b) Eco-restoration of the local biodiversity.
 - (c) Feedback/information to the Board and the National Biodiversity Authority in the matter of Intellectual Property Right (IPR), Traditional Knowledge and local Biodiversity issues.
 - (d) Management of Biodiversity Heritage Sites including Heritage Trees, Animals/ Micro organisms etc., and Sacred Groves and Sacred Water bodies.
 - (e) Regulation of access to the biological resources and/ or associated Traditional Knowledge, for commercial and research purposes.
 - (f) Conservation of traditional varieties/breeds of economically important plants/animals.
 - (g) Biodiversity Education and Awareness building.
 - (h) Documentation, enable procedure to develop bio-cultural protocols.
- (11) To advise on any matter referred to it by the State Biodiversity Board for granting approval, maintain data about the local vaids and practitioners using the biological resources.
- (12) Technical Support Group (TSG) may be constituted by the Board at appropriate level (State/Region/ District/Development block/ Gram Panchayat etc). The TSG formed at any level may include representatives from departments like Forests, Agriculture, Horticulture, Veterinary, Fishery, Local Educational and Research Institutions, Autonomous District Councils, Non Governmental Organizations, Herbal Practitioners etc. based on the local conditions.

जैव विविधता प्रबन्ध समिति पी०बी०आर० में अभिलिखित ज्ञान की संरक्षा सुनिश्चित करने, विशेषकर बाहरी व्यक्तियों एवं एजेंसियों तक इसकी पहुँच को नियोजित करने हेतु जिम्मेदार होगी।

- (10) लोक जैव विविधता पंजिका निरूपित किये जाने के अतिरिक्त जैव विविधता प्रबन्ध समितियाँ सम्बंधित अधिकारिता क्षेत्र के अन्तर्गत निम्नलिखित हेतु भी उत्तदायी होंगे:-
 - (क) जैव संसाधनों का संरक्षण, पोषणीय उपयोग तथा पहुँच एवं लाभ का सहभाजन।
 - (ख) स्थानीय जैव विविधता की पारिस्थितिकी की पूर्व अवस्था बहाली।
 - (ग) बोर्ड तथा जैव विविधता प्राधिकरण को बौद्धिक सम्पदा अधिकार, पारम्परिक ज्ञान तथा जैव विविधता से सम्बंधित स्थानीय मुद्दों पर प्रतिक्रिया /सूचना देना।
 - (घ) जैव विविधता विरासत स्थलों सिहत विरासतीय वृक्षों, पशुओं/ सूक्ष्म जीवों आदि तथा पवित्र वनों एवं पवित्र जल निकायों का प्रबन्धन।
 - (च) वाणिज्यिक एवं अनुसंधान प्रयोजनों के लिये जैविक संसाधनों तथा / अथवा सम्बद्ध पारम्परिक ज्ञान तक पहुँच का विनियमन।
 - (छ) आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण वनस्पतियो/जीव—जन्तु के पारम्परिक किस्मों/ नस्लों का संरक्षण।
 - (ज) जैव विविधता सम्बंधी शिक्षा एवं जागरूकता को बढावा देना।
 - (झ) प्रलेखन तथा जैव सांस्कृतिक प्रोटोकोल विकसित करने की प्रक्रिया को सामर्थ्यवान बनाना।
- (11) बी 0 एम 0 सी 0 के अन्य कृत्य राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा संदर्भित अनुमोदन प्रदत्त करने के संबंध में सलाह देना व स्थानीय वैद्यों तथा चिकित्सकों द्वारा जैव संसाधनों के उपयोग विषयक आंकडें रखना है।
- (12) बोर्ड द्वारा तकनीकी सहायता समूह (टी०एस०जी०) का गठन उचित स्तर (राज्य/क्षेत्र/जिला/ब्लॉक/ग्राम पंचायत) पर किया जा सकता है। स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर गठित इन तकनीकी सहायता समूहों में वन, कृषि, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य पालन विभागों, स्थानीय शैक्षिक एवं शोध संस्थानों, स्वायत्तशासी जिला परिषदों, गैर सरकारी संगठनों, जड़ी–बूटी चिकित्सकों इत्यादि के प्रतिनिधि सम्मिलत हो सकते हैं।

The Technical Support Group shall assist the BMC in listing local names and traditional knowledge relating to flora & fauna, and current practices of communities regarding conservation within its territorial jurisdiction, to be included in the PBR.

- (13) The BMC shall ensure the documentation of the particulars in People's Biodiversity Registers as prescribed by the National Biodiversity Authority. The Board shall provide guidance and technical support to the Biodiversity Management Committees for preparing People's Biodiversity Registers.
- (14) The People's Biodiversity Registers shall be maintained and validated by the Biodiversity Management Committees. It shall then be counter signed by the Board through its authorized officer.
- (15) The Committee shall also maintain a Register giving information about the details of the access to biological resources and traditional knowledge granted, details of the collection fee imposed and details of the benefits derived and the mode of their sharing from area within its jurisdiction.
- (16) The Biodiversity Management Committees may levy charges by way of collection fees from any person for accessing or collecting any biological resource for commercial purposes from areas falling within its territorial jurisdiction. The Board shall provide guidance to the BMCs for the said purpose.
- (17) Each Biodiversity Management Committee shall prepare an action plan drawing information validated in the People's Biodiversity Register. The Technical Support Group shall provide help in the preparation of the action plan.

19. Local Biodiversity Fund

- (1) As per sub section (1) of sec. 43 of the act, there shall be constituted a fund to be called "Local Biodiversity Fund" at the level of local body.
- (2) The Local Biodiversity Fund shall be used for conservation and promotion of biodiversity as advised by the Board in the areas falling within the jurisdiction of the concerned local body and for the benefit of the local community, in so far as such use is consistent with conservation of biodiversity.

तकनीकी सहायता समूह बी 0 एम 0 सी 0 को उनके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत वनस्पतियों, जीव—जन्तुओं के स्थानीय नाम तथा इनसे सम्बन्धित पारम्परिक ज्ञान एवं समुदायों की संरक्षण सम्बन्धी मौजूदा तौर तरीकों को पी 0 बी 0 आर 0 में सम्मिलित किये जाने हेतु सूची बद्ध करने में सहायता प्रदान करेगा।

- (13) जैव विविवधता प्रबन्ध समिति लोक जैव विविधता रजिस्टर का अभिलेखीकरण जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्ररूप में विनिर्दिष्ट कराना सुनिश्चित करेगी। बोर्ड, जैव विविधता प्रबन्धन समिति को लोक जैव विविधता पंजिका तैयार करने के लिए मार्गदर्शन तथा तकनीकी सहायता प्रदान करेगा।
- (14) जैव विविधता प्रबन्ध समितियों द्वारा लोक जैव विविधता पंजिकाएँ संधारित व विधि मान्य किये जायेंगे। तत्पश्चात् इन्हें बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।
- (15) सिमति अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत जैव संसाधनों और पारम्परिक ज्ञान तक पहुँच हेतु दी गयी अनुमित, अधिरोपित फीस के संग्रहण के ब्यौरे और अभिप्राप्त लाभों तथा उनके प्रभाजन की रीति के ब्यौरों के सम्बन्ध में जानकारी देने वाले रिजस्टर भी संधारित करेगी।
- (16) जैव विविधता प्रबन्धन समिति, अपनी क्षेत्रीय अधिकारिता के अन्तर्गत किसी व्यक्ति से जैव संसाधन के वाणिज्यिक प्रयोजनों हेतु पहुँच या संग्रहण के लिए फीस अधिरोपित कर सकती है। बोर्ड बी०एम०सी० को इस हेतु मार्गदर्शन प्रदत्त करेगा।
- (17) प्रत्येक जैव विविधता प्रबन्धन समिति विधि मान्य किये गये लोक जैव विविधता पंजिका से प्राप्त सूचना के आधार पर एक कार्ययोजना तैयार करेगी। तकनीकी सहायता समूह कार्ययोजना विकसित कराने में सहायता प्रदान करेगी।

19. स्थानीय जैव विविधता निधि

- (1) प्रत्येक स्थानीय निकाय के स्तर पर अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के अनुसार ''स्थानीय जैव विविधता निधि" गठित की जायेगी।
- (2) स्थानीय जैव विविधता निधि का उपयोग सम्बन्धित स्थानीय निकाय की अधिकारिता के भीतर आने वाले क्षेत्रों में जैव विविधता के संरक्षण और संवर्धन के लिए तथा स्थानीय समुदाय के लाभ के लिए, जहाँ तक ऐसा उपयोग जैव विविधता के संरक्षण हेतु संगत हो, बोर्ड की सलाह के अनुसार किया जायेगा।

- (3) All funds of the BMC shall be operated jointly by the Chairperson and the Secretary of the Biodiversity Management Committee. The Board shall lay down the guidelines for operation of the fund including ways to make its functioning transparent and accountable.
- (4) The Secretary of the Biodiversity Management Committee shall maintain the accounts of the committee. The accounting procedures shall be drawn up and format for the maintenance of the accounts/registers shall be provided by the Board.
- (5) The accounts of the Local Biodiversity Fund shall be audited annually by the auditor specially appointed for the said purpose by the Board. The Secretary of the BMC shall furnish audited copy of accounts together with auditor's report of the previous financial year to the concerned local body and the Board by September 30th every year.
- (6) The Biodiversity Management Committee shall prepare its annual report, giving full account of its activities during the previous financial year along with audited copy of accounts together with auditor's report thereon, and submit a copy thereof to the Board and the local body in **Form 3.**

20. Settlement of disputes

If a dispute arises between two or more Biodiversity Management Committee(s) or between Biodiversity Management Committee(s) and department(s) or between two department(s) on any issue related to the subject of biodiversity, the aggrieved party(s) may file application before the Chairperson of the Board in prescribed **Form-4.** The order of the Chairperson shall be final & shall be applicable to all the parties.

(S. Ramaswamy)
Chief Secretary

- (3) जैव विविधता प्रबन्धन समिति के सभी कोष का संचालन समिति के अध्यक्ष तथा सचिव के द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा। निधि के संचालन हेतु बोर्ड मार्गदर्शक सिद्धान्त व ऐसी रीति अधिकथित करेगा, जिससे क्रियाकलाप पारदर्शक तथा उत्तरदायी बने।
- (4) जैव विविधता प्रबन्ध समिति का सचिव समिति के खातों का रखरखाव करेगा। लेखांकन प्रक्रिया को तैयार करने तथा खातों/पंजिकाओं के रखरखाव हेतु बोर्ड द्वारा प्ररूप उपलब्ध कराया जायेगा।
- (5) स्थानीय जैव विविधता निधि के खातों का वार्षिक लेखा परीक्षण बोर्ड द्वारा इस कार्य हेतु विशेष रूप से नियुक्त लेखा परीक्षक द्वारा किया जायेगा। समिति का सिचव प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर तक पिछले वित्तीय वर्ष सम्बन्धी लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट सिहत सम्परीक्षित लेखा की प्रति सम्बन्धित स्थानीय निकाय तथा बोर्ड को उपलब्ध करायेगा।
- (6) जैव विविधता प्रबन्धन समिति पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान अपने क्रियाकलापों के सम्पूर्ण विवरण, लेखाओं की संपरीक्षित प्रति व लेखापरीक्षक की रिपोर्ट सिंहत एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगी तथा उसकी एक प्रति बोर्ड तथा स्थानीय निकाय को प्ररूप-3 में प्रस्तुत करेगी।

20. विवाद के निपटारे

यदि दो या दो से अधिक जैव विविधता प्रबन्धन समितियों अथवा जैव विविधता समिति/समितियों एवं किसी राजकीय विभाग/विभागों अथवा दो या दो से अधिक राजकीय विभागों के मध्य जैव विविधता विषय से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो व्यथित पक्षकार बोर्ड के अध्यक्ष के समक्ष, निर्धारित प्ररूप-4 में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। अध्यक्ष द्वारा पारित निर्णय अन्तिम होगा और सभी पक्षकारों पर लागू होगा।

(**एस० रामास्वामी**) मुख्य सचिव। Copy for information and necessary action to the following:-

- (1) Principal Secretary to Hon'ble Chief Minister, Government of Uttarakhand.
- (2) Principal Secretary to H.E. the Governor of Uttarakhand.
- (3) Staff Officer, Chief Secretary, Government of Uttarakhand.
- (4) Personal Secretary Hon'ble Forest & Wildlife Minister, Government of Uttarakhand.
- (5) Accountant General, Uttarakhand, Dehradun.
- (6) Secretary, MoEF&CC, Government of India, New Delhi 110003.
- (7) Secretary, National Biodiversity Authority, Chennai, Tamil Nadu.
- (8) Principal Chief Conservator of Forests, Uttarakhand, Dehradun.
- (9) Chairman & Member Secretary, Uttarakhand Biodiversity Board, Dehradun.
- (10) Director, Government Press, Roorkee for publishing 150 copies of this notification.

(11) Guard file.

By Order

(Meenakshi Joshi) Additional Secretary प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- (2) प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड शासन।
- (3) स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- (4) निजी सचिव—मा० वन एवं वन्य जीव मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार को मा० मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
- (5) महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- (6) सचिव, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली – 1 1 0 0 0 3
- (7) सचिव, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, चेन्नई, तामिलनाडु।
- (8) प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- (9) अध्यक्ष/सदस्य सचिव, राज्य जैव विविधता बोर्ड, देहरादून।
- (10) निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को अधिसूचना की 150 प्रतियाँ राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।

(11) गार्ड फाइल।

आज्ञा से

, Jash

(मीनाक्षी जोशी) अपर सचिव। 1.

2.

(b)

(c)

Description/nature

documented):

FORM - 1

Application form for access to Biological Resources and associated traditional knowledge

[See Sec. 24 of the Act and Rule 14(1)]

PART-A

Full particulars of the applicant	
i.	Name :
ii.	Permanent Address :
iii.	Address of the contact person/agent, if any:
iv.	Profile of the person/organization (Please attach relevant documents of authentication) :
V.	Nature of Business :
vi.	Turnover of the organization : (a) Financial year (b) Turnover
vii.	Different kinds of taxes paid to the Government during above mentioned financial year:
Details and specific information about nature of access sough and biological material and associated knowledge to be accessed	
(a)	Identification (scientific name) of biological resources and its traditional use:

Geographical location of proposed collection:

of traditional

knowledge

(oral/

1.

2.

प्ररूप - 1

जैव संसाधनों तथा सहबद्ध पारंपरिक ज्ञान तक पहुँच के लिए आवेदन प्ररूप

[(अधिनियम की धारा 24 तथा नियम 14(1) देखें]

भाग-क

आवेद	क का पूर्ण विवरण
(ক)	नाम :
(ख)	स्थायी पता :
(ग)	संपर्क व्यक्ति/अभिकर्ता, यदि कोई हो, का पता :
(ঘ)	व्यक्ति/संगठन का विवरण (कृपया अधिप्रमाणन हेतु सुसंगत दस्तावेज संलग्न करें) :
(ভ)	कारोबार की प्रकृति :
(च)	संगठन का व्यावृत्त (टर्नओवर) :
	(क) वित्तीय वर्ष :
	(ख) टर्नओवर :
(छ)	उपरोक्त वित्तीय वर्ष में सरकार को भुगतान किये गये विभिन्न प्रकार के टैक्स का विवरणः
	गयी जैव सामग्री तथा सहबद्ध ज्ञान तक पहुँच की प्रकृति के बारे में व्यौरे जानकारी।
(ক)	जैव संसाधनों की पहचान (वैज्ञानिक नाम) तथा उसके पारंपरिक उपयोगः
(ख)	प्रस्तावित संग्रहण की भौगोलिक अवस्थिति :
(ग)	पारंपरिक ज्ञान का वर्णन/प्रकृति (मौखिक/अभिलेखित) :

- (d) Any identified individual/community holding the traditional knowledge:
- (e) Quantity, rate and cost of biological resources to be collected (give the schedule):
- (f) Time span in which the biological resources is proposed to be collected:
- (g) Name of person authorized by the company for making the selection:
- (h) The purpose for which the access is requested including the type and extent of research, commercial use being derived and expected to be derived from it:
- (i) Whether any collection of the resource endangers any component of biological diversity or the risks which may arise from the access:
- 3. Details of national institution which will participate in the Research and Development activities.
- 4. Primary destination of accessed resource and identity of the location where the R&D will be carried out.
- 5. The benefits arising or expected to arise from the access to biological resource or knowledge (estimate of the benefits):
- 6. The system and arrangement for the sharing of benefits:

) Date				
	Bank Na	ame	<u>.</u>						
7.	Details	of	Payment	of	applicant	fee	(Draft	No	

8. Other Information, if understood as relevant:

- (घ) पारंपरिक ज्ञान धारित करने वाले व्यक्ति/समुदाय की पहचानः
- (ड) संगृहीत किए जाने वाले जैव संसाधनों की मात्रा, दर व कीमत (अनुसूची दें) :
- (च) समयावधि जिसमें जैव संसाधनों के संग्रहित किए जाने का प्रस्ताव है :
- (छ) चयन करने के लिए कंपनी द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों के नाम :
- (ज) अनुसंधान का प्रकार एवं विस्तार, व्युत्पन्न हुए अथवा होने वाले वाणिज्यिक उपयोग की सम्भावना जिसके लिए पहुँच का अनुरोध किया गया है:
- (झ) क्या संसाधनों के एकत्रीकरण से जैव विविधता के किसी घटक को संकट उत्पन्न हुआ है अथवा कोई जोखिम, जो उत्पन्न हो सकता है:
- 3. राष्ट्रीय संस्था के ब्यौरे, जो अनुसंधान और विकास क्रियाकलापों में भाग लेगी।
- पहुंच प्राप्त संसाधन का प्रारंभिक गंतव्य तथा उस स्थान की पहचान, जहां अनुसंधान एवं विकास किया जाएगा।
- 5. जैव संसाधनों अथवा पारंपरिक ज्ञान तक पहुँच से होने वाले फायदे (लाभ का आंकलन) :
- 6. लाभ के प्रभाजन हेतु प्रस्तावित तंत्र एवं व्यवस्थाएं :

7.	आवेदन फी	ोस भुगतान	का विवरण	बैक	ड्राफ्ट	संख्या	
	बैंक का न	नाम					
	धनराशि			तिथि			

8. कोई अन्य जानकारी जो सूसंगत समझी जाए:

PART-B

DECLARATION

I/we declare that:

- Collection of proposed biological resources shall not adversely affect the sustainability of the resources;
- Collection of proposed biological resources shall not entail any environmental impact;
- Collection of proposed biological resources shall not pose any risk to ecosystems;
- Collection of proposed biological resources shall not adversely affect the local communities;

I/We further declare the information provided in the application form is true and correct and I/we shall be responsible for any incorrect/wrong information.

Signed
Applicant Name/Organization Name & Stamp

Place

Date

भाग–ख

घोषणा

मैं/हम घोषणा करते हैं कि

- प्रस्तावित जैव संसाधनों के संग्रहण से संसाधनों की पोषणीयता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- प्रस्तावित जैव संसाधनों के संग्रहण से कोई पर्यावरणीय प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- प्रस्तावित जैव संसाधनों के संग्रहण से पास्थितिकीय तंत्र को कोई जोखिम नहीं होगा।
- प्रस्तावित जैव संसाधनों के संग्रहण से स्थानीय समुदायों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

मैं/हम यह घोषणा करते हैं कि आवेदन में उपलब्ध कराई गई जानकारी सत्य और सही है और मैं/हम घोषणा करता हूं/करते हैं कि किसी असत्य/गलत जानकारी के लिए उत्तरदायी हूंगा/होंगे।

हस्ताक्षर आवेदक/संगठन का नाम और मोहर

स्थान

तारीख

FORM - 2

Annual Report Format for Uttarakhand Biodiversity Board

[See Section 33 of the act and Rule 17(3)]

The "Annual Report" to be prepared by Uttarakhand Biodiversity Board may have the following heads:

- 1. The period to which the report relates (Financial Year):
- 2. The office bearer during the period:
 - (i) Name of the Chairman:
 - (ii) Name of the Member Secretary:
- 3. Introduction and Biodiversity profile of the state:
- 4. Constitution of the Board:
- Meetings of the Board, decisions taken and the minutes of meeting:
- 6. Progress report with respect to the constitution of BMC in the state:
- 7. Progress report with respect to preparation of Peoples Biodiversity Register (PBR):
 - (i) Documentation:
 - (ii) Updation:
 - (iii) Validation:
- 8. Progress report towards the declaration of Biological Heritage Sites (BHS):
- 9. Progress report of the ongoing projects (if any) and proposed projects:
- 10. Statement of any other programmes /activities/ celebration during the year:

प्ररूप - 2

उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट का प्ररूप

[अधिनियम की धारा 33 तथा नियम 17(3) देखें]

उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड द्वारा तैयार की जाने वाली ''वार्षिक रिपोर्ट'' में निम्नलिखित शीर्षक हो सकते हैं :

- 1. अवधि, जिससे रिपोर्ट सम्बंधित है (वित्तीय वर्ष) :
- 2. अवधि के दौरान कार्यालय के पदधारक :
 - (एक) अध्यक्ष का नाम:
 - (दो) सदस्य-सचिव का नाम :
- 3. परिचय एवं राज्य की जैव विविधता का विवरण :
- बोर्ड की संरचना :
- 5. बोर्ड की बैठकें, लिये गये निर्णय एवं बैठकों का कार्यवृत्तः
- 6 राज्य में जैव विविधता समिति के गठन से सम्बंधित प्रगति रिपोर्ट :
- 7. लोक जैव विविधता पंजिका तैयार किये जाने सम्बंधी प्रगति रिपोर्ट :
 - (एक) अभिलेखनः
 - (दो) अद्यतनीकरणः
 - (तीन) विधिमान्यकरणः
- 8. जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किये जाने की प्रगति रिपोर्ट :
- गतिमान परियोजनाओं (यदि कोई हो) तथा प्रस्तावित परियोजनाओं का विवरणः
- 10. वर्ष में आयोजित कार्यक्रम/गतिविधियों/उत्सवों का विवरण :

- 11. Activities related to Biodiversity Strategy & Action Plan:
- 12. Activities related to Human Resource Development (Workshop/ Training Programmes / Conference/Seminars etc:
- 13. Financial position & Balance Sheet of the Board including Auditor's Report :
- 14. Annual Financial Report:
- 15. Brief account of the state of Access and Benefit Sharing with respect to the Biological resource and traditional knowledge :
- 16. Important communication between BMC SBB NBA:
- 17. Photographs, News clipping (if any):
- 18. Any other information:

- 11. जैव विविधता रणनीति एवं कार्य योजना से सम्बन्धित गतिविधियाँ :
- 12. मानव संसाधन विकास (कार्यशाला/प्रशिक्षण कार्यक्रम/सम्मेलन/गोष्ठी आदि) सम्बन्धी गतिविधियाँ :
- 13. बोर्ड की वित्तीय स्थिति व सम्परीक्षक की रिपोर्ट सहित तुलन पत्र :
- 14. वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट :
- 15. जैव संसाधनों तथा पारंपरिक ज्ञान तक पहुँच व लाभ के प्रभाजन की प्रास्थिति का संक्षिप्त विवरण :
- 16. जैव विविधता प्रबन्ध समिति–राज्य जैव विविधता बोर्ड–राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के मध्य महत्वपूर्ण सम्प्रेषण :
- 17. छाया चित्र, समाचार पत्र की कतरन (यदि कोई हो):
- 18. कोई अन्य जानकारी:

FORM - 3

Annual Report Format for Biodiversity Management Committee

[See Section 45 of the act and Rule 19(6)]

The "Annual Report" to be prepared by the Biodiversity management committee may have the following heads:

- 1. The name & particulars of the committee :
- 2. Constitution of the committee (Name of the members):
- The period to which the report relates (Financial Year) :
- 4. The incumbency of office for the period:
 - (i) Name of the Chairperson:
 - (ii) Name of the Secretary:
- 5. Detailed statement of programmes of action for the year:
- 6. Detailed report on the activities performed during the year:
- 7. A brief account of financial position of the committee :
- 8. Map of jurisdiction:
- 9. Progress of work in people's Biodiversity Register (PBR):
 - (i) Documentation:
 - (ii) Updation:
 - (iii) Validation in consultation with the SBB:
- 10. Minutes of meetings and resolutions & decisions taken by BMC:
- 11. BMC Annual Financial Report:
- 12. List of Visitors:
- 13. List of persons/organizations who were provided access to biological resources and traditional knowledge by BMC :

प्ररूप - 3

जैव विविधता प्रबन्ध समिति की वार्षिक रिपोर्ट का प्ररूप

[अधिनियम की धारा 45 तथा नियम 19(6) देखें]

जैव विविधता प्रबन्ध समिति द्वारा तैयार की जाने वाली ''वार्षिक रिपोर्ट'' में निम्नलिखित शीर्षक हो सकते हैं:

- 1. समिति का नाम व विवरण :
- 2. समिति की संरचना (सदस्यों के नाम) :
- 3. रिपोर्ट की अवधि (वित्तीय वर्ष) :
- 4. अवधि के दौरान पद धारक:
 - (एक) अध्यक्ष का नाम :
 - (दो) सचिव का नाम :
- 5. वर्ष के दौरान सम्पन्न कार्यक्रमों का विस्तृत विवरण :
- वर्ष में किये गये क्रियाकलापों का विस्तृत विवरण :
- 7. समिति की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण :
- 8. अधिकारिता क्षेत्र का मानचित्र :
- 9. लोक जैव विविधता पंजिका में कार्य की प्रगति :
 - (एक) अभिलेखन :
 - (दो) अद्यतनीकरण:
 - (तीन) राज्य जैव विविधता बोर्ड के परामर्श से विधिमान्यकरण :
- 10. समिति द्वारा लिये गये निर्णय, संकल्प व बैठकों के कार्यवृत्तः
- 11. जैव विविधता समिति की वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट :
- 12. आगंतुकों की सूची:
- 13. व्यक्तियो/संस्थाओं की सूची, जिन्हें जैव विविधता प्रबन्ध सिमिति द्वारा जैव संसाधनों तथा पारंपिरक ज्ञान तक पहुँच की अनुमित प्रदान की गयी :

- 14. Detail of different receipts:
 - (i) Receipt by way of fee levied for collecting biological resources :
 - (ii) Receipt by way of providing access to traditional knowledge:
 - (iii) Receipt by way of Benefit sharing:
 - (iv) Receipt from other sources:
- 15. Important communication between BMC SBB NBA:
- 16. Photographs, News clipping (if any):
- 17. Any other information :

- 14. विभिन्न प्राप्तियों का विवरण :
 - (एक) जैव संसाधनों के संग्रहण से वसूल की गयी फीस से प्राप्ति :
 - (दो) पारंपरिक ज्ञान तक पहुँच प्रदान किये जाने से प्राप्ति :
 - (तीन) लाभ के प्रभाजन से प्राप्ति :
 - (चार) अन्य श्रोतों से प्राप्ति :
- 15. जैव विविधता प्रबन्ध समिति–राज्य जैव विविधता बोर्ड–राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के मध्य महत्वपूर्ण सम्प्रेषण :
- 16. छाया चित्र, समाचार पत्र की कतरन (यदि कोई हो):
- 17. कोई अन्य जानकारी:

FORM - 4

Form of Application

(See rule 20)

BEFORE THE STATE BIODIVERSITY BOARD,

[Application Noof]
Applicant (s)
Vs.
Respondent (s)
(Here, mention the designation of the BMC/ Department, as the case may be)
The applicant begs to prefer this application against the order dated passed by the Respondent on the following facts and grounds.
1. FACTS:

(Here briefly mention the facts of the case):

प्ररूप - 4

विवाद निपटारे का प्ररूप

(नियम 20 देखें)

उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड के समक्ष

[आवेदन संख्या]
आवेदनकर्तागण
बनाम
प्रतिवादीगण
(यहाँ पर जैव विविधता प्रबन्ध समिति/विभाग के नाम, जैसी स्थिति हो, का उल्लेख करें)
प्रतिवादी/प्रतिवादीगणों के द्वारा पारित आदेश दिनांकके विरूद्ध निम्नलिखित तथ्यों एवं तर्क के आधार पर आवेदनकर्ता आवेदन दायर करने की प्रार्थना करते हैं–
 तथ्य : (यहाँ प्रकरण से सम्बन्धित तथ्यों का उल्लेख करें)

	i.	
	ii.	
	iii.	
	iv.	
2.		UND: mention the grounds on which the application is made):
	i.	and approximation in the appro
	ii.	
	iii.	
	iv.	
3.	RELII	EF SOUGHT
	i.	
	ii.	
	iii.	
	iv.	
4.	PRA	YER
	(a)	In the light of what is stated above, the applicant respectfully prays that the order/decision of the respondent be guashed/

set-aside.

	(1)	
	(ii)	
	(iii)	
	(iv)	
2.	आधा	₹:
	(यहाँ	आधार का विकल्प दें जिस पर आवेदन की गयी है)
	(i)	
	(ii)	
	(iii)	
	(iv)	
3.	आवेवि	देत राहत
	(i)	
	(ii)	
	(iii)	
	(iv)	
4.	प्रार्थन	Ī
	(ক)	उपरोक्त प्रतिवेदन के आधार पर आवेदनकर्ता सादर प्रार्थना करते हैं कि प्रतिवादी द्वारा पारित निर्णय/आदेश को खारिज/रद्द किया जाये।

• •	e respondent be quashed / modified /
Place : Dated:	Signature of the applicant With seal
	Address
VERI	FICATION
• • •	re that what is stated above is true to pelief. Verified onday
Place : Dated:	Signature of the applicant With seal
	Address
Enclosures: 1. Authenticated copy	of the order/direction, against which the

Enclosures: 1. Authenticated copy of the order/direction, against which the application has been preferred.

• •	नेणेय / आदेश को इस सीमा तक खारिज / देया जाये						
स्थानः दिनांकः	आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर मोहर सहित						
	чता						
सत्यापन मैं, आवेदनकर्ता यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त कथन मेरी पूर्ण जानकारी व विश्वास के आधार पर सत्य है। दिनांक को सत्यापित।							
स्थानः दिनांकः	आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर मोहर सहित						
	чता						
संलग्नकः 1. जिस आदेश/दिशा—ि प्रतिलिपि।	नेर्देश के विरूद्ध आवेदन की गयी है उसकी प्रमाणित						